[2009] 7 एस. सी. आर. 178

राजस्थान राज्य

बनाम

जगदीश प्रसाद

आपराधिक अपील संख्या 869 सन् 2009

अप्रैल 29, 2009

[डॉ. अरिजीत पसायत और अशोक कुमार गांगुली, न्यायमूर्तिगण]

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954–धाराएं 7 और 16 – दोषसिद्धि के तहत और छह महीने की कठोर कारावास का अधिरोपण – उच्च न्यायालय द्वारा छह महीने की सज़ा को कम करते हुए जुर्माना – की स्थिरता – अभिनिर्धारित: टिकाऊ नहीं – खाद्य पदार्थों के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन आवश्यक है। यदि जुर्माने के साथ अपराधी छूट जाए तो कड़े कानूनों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा – ट्रायल कोर्ट द्वारा सजा के आदेश को बरकरार रखा गया – तीन महीने की अवधि के लिए, अभियुक्त को सजा कम करने के लिए उपयुक्त सरकार के पास जाने की स्वतंत्रता दी गई – अभियुक्त को सजा भुगतने के लिए उक्त अवधि के दौरान आत्मसमर्पण नहीं करना होगा – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 433 दण्ड/दण्डादेश – का लघुकरण।

दयाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य 2004 (5) एससीसी 721 – विश्वास व्यक्त किया गया।

सुकुमारन नायर बनाम. खाद्य निरीक्षक, मावेलिकारा 1997 (9) एससीसी 101– उल्लेख किया गया है

केस कानून संदर्भ

1997 (9) एससीसी 101	उल्लेख किया गया	पैरा २
2004 (5) एससीसी 721	उल्लेख किया गया	पैरा ५

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 869 सन् 2009

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय एवं आदेश दिनांकित 12.01.2007 से एस.बी. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 270 सन् 1995 में।

अपीलकर्ता की ओर से मिलिंद कुमार।

प्रत्यर्थी की ओर से नरेश बख्शी।

डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया था।

1. अनुमति प्रदत्त।

2. इस अपील में चुनौती राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खंडपीठ के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954–धाराएं 7 और 16 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए 6,000/– रुपये का जुर्माना लगाया और निर्देश दिया कि यह जुर्माना, छह महीने की सश्रम कारावास की सजा के लघुकरण के रूप में है जिसे विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णित किया गया था। आगे यह निर्देश दिया गया कि यदि राशि एक निर्दिष्त अवधि के भीतर जमा की जाती है, तो उपयुक्त सरकार दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 433 के खंड (डी) के तहत एक उचित आदेश पारित करके मामले को औपचारिक रूप देगी। उपरोक्त उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय ने सुकुमारन नायर बनाम खाद्य निरीक्षक, मवेलिकारा (1997 ((9) एस.सी.सी. 101) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता–राज्य ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं है।

4. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता ने फैसले का समर्थन किया।

5. दयाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य (2004 (5) एससीसी 721) में इसे अन्य बातों के अतिरिक्त की गई टिप्पणी निम्नवत है:

"१५. वर्तमान मामले में यह विवादित नहीं था कि आरोपित अपराध के लिए कानून द्वारा न्यूनतम 6 महीने के कठोर कारावास की सजा निर्धारित है। अपीलकर्ता को 6 महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई जो

कि न्यूनतम सजा है। हम एन. सुकुमारन नायर मामले में पारित प्रकृति के आदेश को पारित करके सजा को संशोधित करने के इच्छुक नहीं हैं, जहां इस अदालत ने अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए केवल जुर्माने की सजा दी थी और राज्य को संहिता की धारा 433 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग साधारण कारावास की सजा को लघुकरण करते हुए जुर्माने में बदलने का निर्देश दिया था। मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता को 6 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा, हमारा दृढ़ मत है कि खाद्य पदार्थों के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन आवश्यक है। यदि अपराधी केवल जुर्माना लेकर बच जाएंगे तो कड़े कानूनों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए, हमें अपीलकर्ता के खिलाफ लगाई गई सजा में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।"

6. इन परिस्थितियों में अपील स्वीकार की जाती है। ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई सजा बहाल की जाती है। हालाँकि, चूँकि यह घटना लगभग तीन दशक पहले हुई थी, यदि अभियुक्त–प्रत्यर्थी कारावास की सजा को कम करने के लिए उपयुक्त सरकार से अपील करता है, तो उस पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाएगा। तीन महीने की अवधि तक अभियुक्त को सजा भुगतने के लिए आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, इस अवधि के दौरान उसे सजा कम करने के लिए उपयुक्त सरकार के पास जाने की छूट होगी। यदि उपयुक्त सरकार द्वारा लघुकरण के मामले में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है तो अभियुक्त को शेष सजा काटने के लिए हिरासत में आत्मसमर्पण करना होगा।

7. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

N. J.

अपील स्वीकृत

Translated by Vikas Srivastva–I
A.D.J.–2, Prayagraj
J.O. Code No.U.P.2734